

परिशिष्ट 'तीन'
[निर्देश क्र. 8 (1) देखें]

स्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग खोखर जिला रिया मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक519

प्रकरण क्रमांक 125/10/121
15-16

प्रमाण-पत्र क्रमांक

48

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंकित सिंह
आत्मज श्री मामसहाइ सिंह निवासी/ग्राम बलरेही
जिला रिया संभाग रिया मध्यप्रदेश के निवासी हैं, जो कुर्मी
जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित
जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.8-5/पच्चीस/4/84,
दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमन्य किया है।

श्री अंकित सिंह और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश
के जिला रिया संभाग रिया में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में प्रवजन कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री मामसहाइ सिंह
क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख
भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93/स्था.
(एस.सी.टी.), दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कॉलम-3 में तथा मध्यप्रदेश
शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.7-26/93/1/आ.प्र. दिनांक
मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया
है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी रिया
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक 9-10-15

(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम